

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:ई/चि.अ./आर-706 (पार्ट-1)/2024/ दिनांक :

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजकीय जिला चिकित्सालय,
चित्तौड़गढ़ एवं केस प्रभारी अधिकारी।

विषय: डी.बी.सि.रि.पिटीशन संख्या 5650/2024 डॉ0 रसना अग्रवाल बनाम सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डी.बी.सि.रि.पिटीशन संख्या 5650/2024 डॉ0 रसना अग्रवाल बनाम सरकार व अन्य में आपको केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 15.04.2024 को स्थगन आदेश पारित किया गया है।

अतः डी.बी.सि.रि.पिटीशन संख्या 5650/2024 में पारित स्थगन आदेश के विरुद्ध संबंधित शाखा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करते हुए, श्री महावीर विषनोई, अतिरिक्त महाधिवक्ता से सम्पर्क कर, प्रकरण में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.04.2024 के विरुद्ध स्टे वेकेट प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दायर कर एवं प्रकरण का जवाब प्रस्तुत कर अन्तरिम आदेश को अपास्त कराने की कार्यवाही करते हुए निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:ई/चि.अ./आर-706 (पार्ट-1)/2024/191

दिनांक : 16/05/2024

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, श्रीमान निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
3. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
- ✓ 4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6860605



Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash
Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2024.04.30 17:47:31 IST
Reason: Approved